भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1627

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

विदेशी छात्रों के साथ भेदभाव

†1627. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के विरुद्ध भेदभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गएहैं;
(ख) क्या विदेशी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट नीतियां लागू हैं;
(ग) विदेशी छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों के सामाजिक और शैक्षणिक वातावरण में जोड़ने के लिए सरकार द्वाराक्या पहल की गई है;
(घ) विगत दस वर्षों में भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों से संबंधित आत्महत्या के कितने मामले सामने आए हैं;
(ङ) विगत दस वर्षों के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के साथ भेदभाव या उत्पीड़न की कितनीशिकायतें दर्ज की गई हैं;
(च) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के लिए कोई समर्पित शिकायत निवारण तंत्र है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ .सुकान्त मजूमदार)

(क) से (छ):भारत सरकार भारतीय उच्चतरशिक्षा संस्थानों (एचईआई) में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों सहित सभी छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए सक्रिय रूप से उपाय कर रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम 2023 किसी भी संस्थान में नामांकित छात्रों की शिकायतों के निवारण हेतु रूपरेखा और उसके लिए एक तंत्र प्रदान करता है। विनियमों के अनुसार:

i. प्रत्येक संस्था छात्रों की शिकायतों पर विचार करने हेतु यथा अपेक्षित संख्या में छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का गठन करेगा। किसी भी शिकायतकर्ता छात्र की शिकायत एसजीआरसी के अध्यक्ष को संबोधित कीजाएगी।
ii. प्रत्येक विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के छात्रों की शिकायतों के निवारण हेतु लोकपाल की नियुक्ति करेगा।
iii. विनियमों में शिकायतों के निवारण हेतु लोकपाल और एसजीआरसी द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय की स्थापना हेतु 2021 में निर्देश जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कार्यालयअन्य बातों के साथ-साथ निम्न कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है:

i. विदेशी छात्रों के स्वागत और सहयोग से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करना
ii. भावी विदेशी छात्रों के बीच प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी का प्रसार करना
iii. सभी मामलों में विदेशी छात्रों की शिकायतों का समाधान करना
iv. साथी छात्रों के साथ नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना
v. विदेशी छात्रों को नए सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल होने और भारत में उनके प्रवास को आरामदायक और समृद्ध बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। इसे प्राप्त करने हेतु सरकार ने **मनोदर्पण** पहल सहित कई उपाय शुरू किए हैं, जो छात्रों, परिवारों और शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है।

शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) में छात्रों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए वर्ष 2023 में एक व्यापक रूपरेखा प्रसारित की है, जिसमें संस्थागत कामकाज में इसे शामिल करने और छात्र समुदाय में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) में मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने और तनाव, साथियों की चिंता एवं अवसाद जैसे मामलों का समाधान करने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अप्रैल 2023 में "भारत के उच्चतरशिक्षा संस्थाओं में शारीरिक उपयुक्तता, खेल, छात्रों के स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु दिशानिर्देश" जारी किए हैं।

******